

न्यायालय:-श्रीमति ज्योत्सना आर्य, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भीकनगांव,
पोनिमाड ग्राम न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय भीकनगांव, जिला खरगोन पश्चिम
निमाड (म0प्र0)

जांचक क्रमांक...../2020

भीकनगांव दिनांक 17 08 2020

कोविड 19 के प्रकोप को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय से जारी दिशा निर्देश के पालन में एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए इस न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक 17.08.2020 से दिनांक 21.08.2020 तक नियत प्रकरणों जमानत, अंतिम तर्क एवं जारी जरूरी मामलों को छोड़कर शेष समस्त मामलों की सुनवायी नहीं होगी। दिनांक 17.08.2020 से दिनांक 21.08.2020 तक पूर्व से नियत प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती हैं।

नियत दिनांक	आपराधिक प्रकरणों की सुनवायी हेतु आगामी दिनांक	सिविल प्रकरणों की सुनवायी हेतु आगामी दिनांक
17 08 2020	07 09 2020(ग्राम न्यायालय)	
18 08 2020	29 09 2020	22 09 2020
19 08 2020	06 10 2020	16 09 2020
20 08 2020	07 10 2020	23 09 2020
21 08 2020	11 09 2020(ग्राम न्यायालय)	

नोट:- अंतिम तर्कों के मामलों को छोड़कर शेष मामलों की सुनवायी की तिथि उपरोक्तानुसार नियत की गई है।

(श्रीमति ज्योत्सना आर्य)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं
ग्राम न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय
(ज्योत्सना आर्य)
भीकनगांव, पोनिमाड
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
भीकनगांव, प.नि.

न्यायालय- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 भीकनगांव जिला मण्डलेश्वर (म.प्र.)
(समक्ष-फरहान एम. कुरैशी)

जा0कं0 95 / 2020

भीकनगांव, दिनांक 17.08.2020

कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय से जारी दिशा निर्देश के पालन में एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए इस न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक 17.08.2020 से दिनांक 21.08.2020 तक नियत प्रकरणों जमानत, अंतिम तर्क एवं जरूरी मामलों को छोड़कर शेष समस्त मामलों की सुनवायी नहीं होगी। दिनांक 17.08.2020 से दिनांक 21.08.2020 तक पूर्व से नियत प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती है :-

नियत दिनांक	सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवायी हेतु आगामी दिनांक
17.08.2020	08.10.2020
18.08.2020	09.10.2020
19.08.2020	12.10.2020
20.08.2020	13.10.2020
21.08.2020	14.10.2020

नोट :- अंतिम तर्क के मामलों को छोड़कर शेष मामलों की सुनवाई की तिथि उपरोक्तानुसार नियत की गई है।

आज्ञा से
(फरहान एम. कुरैशी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02
भीकनगांव जिला मण्डलेश्वर (म.प्र.)

भीकनगॉव न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश जिला मण्डलेश्वर म.प्र.

भीकनगॉव दिनांक 17.08.2020

:: सूचना ::

कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुये माननीय उच्च न्यायालय से जारी दिशा निर्देश के पालन में एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुये इस न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक 17.08.2020 से दिनांक 21.08.2020 तक नियत प्रकरणों, जमानत अंतिम तर्क एवं जरूरी मामलों को छोड़कर शेष समस्त मामलों की सुनवायी नहीं होगी। दिनांक 17.08.2020 से दिनांक 21.08.2020 तक पूर्व से नियत प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती है।

नियत दिनांक	सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवायी हेतु अगामी दिनांक
17.08.2020	11.09.2020
18.08.2020	14.09.2020
19.08.2020	15.09.2020
20.08.2020	16.09.2020
21.08.2020	18.09.2020

नोट:- अंतिम तर्क के मामलों को छोड़कर शेष मामलों की सुनवायी की तिथि उपरोक्तानुसार नियत की गयी है।

(एन.आर. परमार)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भीकनगॉव के न्यायालय के अतिरिक्त
न्यायाधीश जिला मण्डलेश्वर (म.प्र.)